मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/टेली साफ्ट./950 भोपाल, दिनांक 11.02.2019

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय.....................

विषय :- मण्डी समितियों में स्थापित टेली एकाउन्टिंग साफ्टवेयर से लेखा संधारण के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1394 दिनांक 06.10.2015, पत्र क्रमांक/1474 दिनांक 28.02.2015, पत्र क्रमांक/143 दिनांक 03.05.2016, पत्र क्रमांक/269 दिनांक 02.06.2017 एवं पत्र क्रमांक/751 दिनांक 06.12.2018.

--00--

कृपया उपरोक्त संबंध में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। प्रदेश की प्रत्येक मण्डी समिति में लेखा संधारण का कार्य उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त कार्य के लिए प्रत्येक मण्डी से एक कर्मचारी को 02 बार प्रशिक्षित किया गया तथा उक्त साफ्टवेयर से लेखांकन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिए आंचलिक कार्यालय एवं मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया थे। उक्त संबंध में आंचलिक कार्यालय के संयुक्त संचालक/उप संचालक को भी इस संबंध में मॉनिटरिंग के निर्देश जारी किए गए थे। मण्डियों से टेली लेखांकन कार्य की कार्यालयीन पत्र क्रमांक/791 दिनांक 06.12.2018 से निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्राप्त की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि मण्डी स्तर एवं आंचलिक कार्यालय स्तर पर इस कार्य को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। वर्तमान में मात्र 15 मण्डियों में टेली साफ्टवेयर पर लेखांकन का कार्य किया जा रहा है। 87 मण्डियों में यह कार्य प्रारम्भ किया गया परन्तु उसके पश्चात् बन्द कर दिया गया है जबकि 155 मण्डियों में उक्त कार्य पूर्णरूपेण बन्द कर दिया है।

वर्तमान में टेली एकाउन्टिंग साफ्टवेयर से लेखांकन कार्य के इंटीग्रेशन न होने से उसका क्रियान्वयन की समीक्षा न तो आंचलिक कार्यालय पर हो रही है और न ही बोर्ड स्तर पर। जिसमें वास्तविक समय (Real Time) में मंडियों की वित्तीय स्थिति का आंकलन नहीं हो पाता है। अत: टेली साफ्टवेयर को वेबलेयर साल्यूशन के माध्यम इंटीग्रेशन कराना प्रस्तावित किया गया है। इस कार्य की क्रियान्वयन की तिथि 31 मार्च, 2019 रखी गई है। अत: आवश्यक है कि प्रत्येक मण्डी में टेली एकाउन्टिंग साफ्टवेयर पर कार्य अद्यतन कर लिया जाए। इस हेतु आंचलिक कार्यालय स्तर पर पूर्ववर्ती गठित

नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे इसकी साप्ताहिक समीक्षा करें साथ ही मण्डी समितियों को निम्नानुसार निर्देश जारी कर कार्य अद्यतन कराया जाए :-

01. जिन मण्डियों में लेखांकन कार्य किया जा रहा है उनमें किए गए लेखांकन का रिकंसीलेशन करा लिया जाए तथा कार्य को निरन्तर रखा जाए।

02. जिन मण्डियों में कार्य शुरू कर दिया था लेकिन बीच में छोड़ दिया है ऐसी स्थिति की समीक्षा कर सचिव से स्पष्टीकरण लिया जाए कि उपरोक्त कार्य बाधित क्यों हुआ।

03. जिन मण्डियों में कार्य मात्र प्रारम्भ किया गया था उसके पश्चात् बन्द कर दिया अन्यथा जिनके प्रशिक्षित कर्मचारी वर्तमान में अन्यंत्र पदस्थ हो गए है उन मण्डियों के वर्तमान में पदस्थ लेखा कर्मचारी को समीपवर्ती मण्डी समिति के प्रशिक्षित कर्मचारी से अथवा आंचलिक कार्यालय के नोडल अधिकारी से प्रशिक्षित कराकर दिनांक 28.02.2019 तक अनिवार्य रूप से उक्त कार्य अद्यतन करा लिया जाए।

उपरोक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि किसी मण्डी स्तर पर कार्य अपूर्ण है तो उसका प्रभाव आगामी प्रोजेक्ट पर होगा। अत: नोडल अधिकारियों से साप्ताहिक समीक्षा के आधार पर रिपोर्ट संकलित कर प्रतिवेदन भेजें। जिसकी मासिक बैठक में विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/टेली साफ्ट./951 भोपाल, दिनांक 11.02.2019

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. अपर संचालक(वित्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

02. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,....................जिला .... की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि टेली एकाउन्टिंग साफ्टवेयर कार्य को दिनांक 28.02.2019 तक अनिवार्य रूप से अद्यतन कर लिया जावे व प्रत्येक सप्ताह प्रगति से आंचलिक कार्यालय को अवगत करावें। यदि उपरोक्त में किसी तरह की कठिनाई है तो आंचलिक कार्यालय के नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर दुरूस्त किया जावे।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल